



प्रेस नोट

थाना सिंघावली अहीर

दिनांक 18.09.2022

थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 342/22 धारा 353/332/506/427 भादवि व धारा 3(क) उ0प्र0 मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट व धारा 15(2), 15(3) इण्डियन मेडिकल काउन्सिल एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.09.22 को थाना सिंघावली अहीर पर वादी श्री डाक्टर सुधीर शर्मा MS सीएचसी पिलाना ने तहरीर दी कि करबा अमीनगर सराय में अभियुक्त 1- फुरकान 2- सुधीर गन्धर्व व कुछ युवक नाम पता अज्ञात द्वारा मेडिकल टीम के साथ हमला करते हुये सरकारी कार्य मे बाधा डालना तथा अभियुक्त सुधीर गन्धर्व द्वारा महिला स्टाफ नर्स के साथ अभद्र व्यवहार करना तथा जान से मारने की धमकी देना व अभिलेखो को क्षति पहुंचाना फाड देना



। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना सिंघावली अहीर पर मु0अ0सं0 342/22 धारा 353/332/354/506/427 भादवि व धारा 3(क) उ0प्र0 मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट व धारा 15(2), 15(3) इण्डियन मेडिकल काउन्सिल एक्ट पंजीकृत किया गया था । उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान अभियुक्त मोहित शर्मा पुत्र राजकरण निवासी गुराना रोड गली न0- 06 थाना बडौत जनपद बागपत का नाम प्रकाश में आया है ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधो की रोकथाम व वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चालजे जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना सिंघावली अहीर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0

342/22 धारा 353/332/506/427 भादवि व धारा 3(क) उ0प्र0 मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट व धारा 15(2), 15(3) इण्डियन मेडिकल काउन्सिल एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-फुरकान पुत्र मंजूर अली निवासी ग्राम हलालपुर थाना छपरौली बागपत जनपद बागपत।
- 2-मोहित शर्मा पुत्र राजकरण निवासी गुराना रोड गली न0- 06 थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना सि0अहीर
- 2-का 44 संजीव कुमार थाना सि0अहीर
- 3-का0 406 रविन्द्र भाटी थाना सि0अहीर



प्रेस नोट
थाना रमाला

दिनांक 18.09.2022

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 264/22 धारा 507 भादवि से सम्बन्धित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 16-09-2022 को थाना रमाला पर वादी श्री संजीव कुमार निवासी बरवाला थाना रमाला ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्त द्वारा अपना नाम सुनील राठी बताते हुये उसके मोबाइल फोन पर धमकी दी गयी । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 264/22 धारा 507 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 264/22 धारा 507 भादवि का सफल अनावरण करते हुये मोबाइल पर

धमकी देने वाले अभियुक्त सन्दीप कुमार को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अभियुक्त का नाम व पता-

1- सन्दीप कुमार पुत्र बल्लम सिंह निवासी लिलौन थाना कोतवाली शामली जनपद शामली ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ०नि श्री अमर सिंह ।

2-है०का० बुद्धप्रकाश ।

3-का० 952 मोहित कुमार ।

4-का० 525 महेश कुमार ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 18.09.22

थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी/अभियुक्त का नाम व पता-

1-अजहर उर्फ बोलर पुत्र शरीफ खाँ निवासी मौ0 मुगलपुरा करबा व थाना बागपत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार को0बागपत ।

2-का0 584 कपिल को0बागपत ।

3-का0 81 हरिओम को0बागपत।



प्रेस नोट
थाना बडौत

दिनांक 18.09.2022

थाना बडौत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा एक वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- नफीस पुत्र रहीस निवासी म0नं0-495 फुल वाला तालाब करबा व थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री नरेश कुमार थाना बडौत, बागपत
- 2- का0 814 अमित नागर थाना बडौत बागपत
- 3- का0 1102 सुंशात सिंह थाना बडौत, बागपत



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 18.09.2022

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 48 पच्चा अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद

।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 48 पच्चा अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1-साहिब पुत्र इरफान निवासी मौ0 ईदगाह पक्का घाट करबा व थाना बागपत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- 48 पच्चा अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उपनि0 श्री विनोद कुमार, कोतवाली बागपत
- 2-का0 479 कुलदीप, कोतवाली बागपत
- 3-का0 1067 आशुतोष दुबे कोतवाली बागपत